


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2011/5617-42
दिनांक 3-5-2012 के द्वारा राज्य के 7 जिलों यथा: राजमेर, बांसवाड़ा बाडमेर,
डुंगरपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, नागौर के 2968 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
(अधिसूचना की प्रति संलग्न है)।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित
काश्तकारों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को काश्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प
अनुसूच गन्तव्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इस
संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- अधिसूचना की प्रति।


(अनंद कुमार)
शासन सचिव,

प्रमुख शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
राज0 जयपुर ।

क्रमांक-एफ 1(1)(4) आ.प्र. एवं सहा./सामान्य/2011/ 5615-16
जयपुर, दिनांक 3.5.12
प्रतिनिधि:- जेनीयक, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर को सूचनाार्थ प्रेषित है।


शासन सचिव